न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला अलवर(राज.)

पीठासीन अधिकारी : योगेश कुमार डागुर, आर.ए.एस.

राजस्व वाद पत्र सख्या : 270/2014

तारीख दायरा : 19.09.2014

निर्णय दिनांक - 08.7.19

उनवान

1. रामसिंह पुत्र नाथिया जाति चमार निवासी भिवाडा।
2. हजारी लाल पुत्र चन्दर जाति चमार निवासी भिवाडा।
3. बहराम पुत्र चन्दर जाति चमार निवासी भिवाडा।
4. दलीप सिंह पुत्र चन्दर जाति चमार निवासी भिवाडा।
5. औमप्रकाश पुत्र चन्दर जाति चमार निवासी भिवाडा।
6. पिस्ता देवी पुत्री चन्दर जाति चमार निवासी भिवाडा।
7. सुशीला पुत्री चन्दर जाति चमार निवासी भिवाडा तहसील मुण्डावर।

..वादीगण।

बनाम

1.धर्मचन्द पुत्र शिवनारायण जाति अहीर निवासी मुण्डनवाडा कलॉ तहसील मुण्डावर।
2.जगमाल पुत्र शिवनारायण जाति अहीर निवासी मुण्डनवाडा कलॉ तहसील मुण्डावर।
3.रामप्रताप पुत्र शिवनारायण जाति अहीर निवासी मुण्डनवाडा कलॉ तहसील मुण्डावर।
4.विधा पुत्री शिवनारायण जाति अहीर निवासी मुण्डनवाडा कलॉ तहसील मुण्डावर।
5.रेवती पुत्री शिवनारायण जाति अहीर निवासी मुण्डनवाडा कलॉ तहसील मुण्डावर।
6.कृपा पुत्री शिवनारायण जाति अहीर निवासी मुण्डनवाडा कलॉ तहसील मुण्डावर।
7.अमर सिंह पुत्र रामजीलाल जाति अहीर निवासी मुण्डनवाडा कलॉ तह.मुण्डावर।
8.रामकिशन पुत्र रामजीलाल जाति अहीर निवासी मुण्डनवाडा कलॉ तहसील मुण्डावर।
9.रामप्रताप पुत्र सगरू जाति अहीर निवासी मुण्डनवाडा कलॉ तहसील मुण्डावर।
10.कमला
11.रूकमणी।
12.सरबती पुत्रीयान सगरू जातियान अहीर निवासी मुण्डनवाडा कलॉ तह.मुण्डावर।
13.अमर सिंह।
14.सतीश ।
15.देशराज।
16.पप्पू पुत्रान लख्मी जाति अहीर निवासी मुण्डनवाडा कलॉ तहसील मुण्डावर।
17.राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर।
18.उप पंजीयक मुण्डावर जिला अलवर।

(दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.एक्ट)

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner

2.रामसिंह वगैरा बनाम धर्मचन्द वगैरा
राजस्व वाद पत्र सख्या : 270/2014

उपस्थिति :–1. श्री श्रीपालसिंह चौधरी, अधिवक्ता ....वादीगण की ओर से ।
2.अप्रार्थीगण की ओर से कोई उप0 नहीं।

न्यायालय द्वारा :–

:: निर्णय :: दिनांक: 08.7.19

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी ख.न. 307 रकबा 1.04 है0 वाके ग्राम भिवाडा में स्थित है। साबिक ख.न. 287 रकबा 2.05 बीधा व साबिक ख.न. 288 रकबा 1.17 बीधा से सैटलमैन्ट के दौरान् भू–प्रबन्ध विभाग ने हाल ख.न. 307 बनाया है। आराजी साबिक ख.न. 287 व 288 श्योनारायण उर्फ शिवनारायण पुत्र पीरानों उर्फ मंगनी व सगरू पुत्र धोनू उर्फ धन्ना जाति अहीर की खातेदारी में रही है। साबिक रिकार्ड के खातेदारान् द्वारा मिन वादी स0 1 के पिता नाथिया व वादीगण 2 ला.7 के पिता चन्दर को उक्त आराजी स. 2016 में 1250/–रूपये में बेचान कर कब्जा मौके पर दे दिया गया था तथा ग्राम के मौजीज व्यक्तियों के सामने लिखा पढी हो गई थी। वक्त खरीद से ही मिन वादीगण के पिता आराजी पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। स. 2023 में मिन वादी स.1 के पिता नाथिया व वादीगण स. 2 ला.7 के पिता चन्दर के नाम का अंकन शिकमी काश्तकार के रूप में दर्ज हो गया जो अकंन स. 2023 से ता–हाल चला आ रहा है। वादीगण के पिताओं के फौत होने के बाद वादी स. 1 का 1/2 भाग व वादीगण स. 2 ला.7 का 1/2 भाग पर कब्जा चला आ रहा है जो कब्जा स. 2016 से अर्थात लगभग 55 वर्षो से लगातार प्रतिवादीगण की जानकारी में चला आ रहा है। कब्जा मुखालफाना के आधार पर भी वादीगण को उक्त आराजी में खातेदारी राईट्स प्राप्त हो चुके है। प्रतिवादीगण चालाक व बेईमान किस्म के व्यक्ति है जो गलत अंकन का फायदा उठाकर मिन वादीगण को आराजी से बेचान करने पर उतारू है तथा दिनांक 05.07.2014 को प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को आराजी से जबरन बेदखल करने की ऐलानिया धमकी भी दी गई। अन्त में निवेदन किया गया कि विवादित आराजी ख.न. 307 का वादी सख्या–01 को 1/2 भाग व वादीगण स. 2–7 को 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

वादीगण का दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के बावजूद सम्यक तामील के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई जो अभी निरन्तर है।

उपखण्डाधिकारी
मण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

हमने विद्वान अधिवक्ता वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनी। योग्य अधिवक्ता का तर्क है कि वादीगण के पिता नाथिया व चन्दर द्वारा उक्त विवादित आराजी स. 2016 में ग्राम के मौजीज व्यक्तियों के समक्ष क्रय की थी तथा लिखतम करवाई गई थी। स. 2023 से वादीगण का नाम बतौर शिकमी चला आ रहा है तथा वक्त खरीद से ही लगभग 55 वर्षो से वादीगण का विवादित आराजी पर कब्जा काश्त लगातार चला आ रहा है। वादीगण एडवर्स पजेशन के आधार पर भी खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है। उन्होने अपने तर्को के समर्थन में आर.आर.डी. 2009 पेज 90, आर.आर.डी. 2016 पेज 270 एवं 2008(2) आर.आर.टी. 806 के न्यायिक विनिश्चय पेश किये गये है।

हमने योग्य अधिवक्ता वादीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–1 के अनुसार साबिक ख.न. 287 रकबा 2.05 बीघा व साबिक ख.न. 288 रकबा 1.17 बीघा से हाल ख.न. 307 रकबा 4.02 बीघा बनना प्रमाणित होता है। नकल जमाबन्दी स. 2023 प्रदर्श–2 के अनुसार आराजी ख.न. 307 रकबा 4.02 बीघा पर शिवनारायण वगैरा मजकूर बकाश्त नाथिया चन्दर पिसरान मिरचू चमार सा.देह शिकमी साल 6 का अकंन दर्ज है। इसी प्रकार का अकंन जमाबन्दी स. 2023 प्रदर्श–3 में हो रहा है। जमाबन्दी स. 2031 प्रदर्श–4, जमाबन्दी स.2039 प्रदर्श–8 में भी यही अकंन दर्ज है। उक्त अकंन से यह स्पष्ट होता है कि विवादित आराजी का मूल खातेदार शिवनारायण वगैरा थे परन्तु काश्त नाथिया व चन्दर जो वादीगण के पिता है के द्वारा की जा रही थी।

सैटलमैन्ट खतौनी प्रदर्श–6 के अनुसार विवादित आराजी शिवनारायण पुत्र प्रानो सगरू वल्द धानों अहीर सा. मुण्डनवाडा कला हि. बराबर मु. 4 साल का अकंन दर्ज है। सैटलमैन्ट इन्द्राज के अनुसार वक्त सैटलमैन्ट वादीगण के पिता का शिकमी का अकंन बन्दोबस्त विभाग द्वारा हजफ कर दिया गया जबकि बन्दोबस्त विभाग को पूर्व इन्द्राज ही रिपीट करने चाहिए था। बन्दोबस्त विभाग को पूर्व इन्द्राज में किसी प्रकार कोई परिर्वतन करने का अधिकार नहीं था।

जहां तक खातेदारी अधिकारों का प्रश्न है इस मामले में वादीगण के कथनानुसार यह आराजी स. 2016 में वादीगण के पिता नाथिया व चन्दर द्वारा ग्राम के मौजीज व्यक्तियों के समक्ष लिखतम करवाकर 1250/– में क्रय की गई थी। जमाबन्दी स. 2023 में वादीगण के पिता नाथिया व चन्दर की बकाश्त 6 साल का अकंन दर्ज है जिससे इस तथ्य की सम्पुष्टि होती है कि स. 2017 से वांदीगण के पिता नाथिया व चन्दर का विवादित आराजी पर कब्जा काश्त चला आ रहा है।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner

जमाबन्दी स. 2023 में बकाश्त साल 6 के अंकन के पश्चात् वादीगण का बकाश्त शिकमी का अकंन निरन्तर चला आ रहा है इससे कब्जे का तथ्य भलीभाँति साबित होता है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के उक्त आराजी को क्रय करने लिखतम करवाने व कब्जा काश्त होने आदि तथ्यों का कोई खण्डन नहीं किया गया है अपितु कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने एवं बावजूद सम्यक तामील न्यायालय में हाजिर नहीं होने से यही उपधारणा की जावेगी कि प्रतिवादीगण को वादीगण के कथनो पर कोई आपत्ति नहीं है। यद्यपि वादीगण द्वारा जो लिखतम पेश की गई है वह एक अनरस्टिर्ड दस्तावेज है परन्तु वादीगण के गवाह पी.ड.3 एवं पी.ड.4 ने अपने साक्ष्य में प्रस्तुत शपथ पत्र में आराजी को क्रय करने एवं लिखतम के तथ्यों को स्वीकार किया गया है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये वाद में लिखावट स्वीकृत रूप से अनरजिस्टर्ड है इसलिए एक मात्र एक बेचान के आधार पर ही वादीगण को विवादग्रस्त भूमि का टाईटल कतई प्राप्त नहीं होता है लेकिन विधि के प्रावधानों एवं विनिश्चयों के आधार पर उक्त लिखावट का उपयोग विवादग्रस्त भूमि पर अपना कब्जा प्रमाणित करने के लिए अवश्य किया जा सकता है क्योंकि अन–रजिस्टर्ड बेचान को कोलेट्रल पर्पज का कब्जा प्रमाणित किये जाने हेतु अवश्य उपयोग किया जा सकता है। प्रस्तुत किये गये दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों द्वारा यह भी प्रमाणित होता है कि विवादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त स. 2016 से वादीगण का है। इस सम्बन्ध में हम वादीगण द्वारा प्रस्तुत किये न्यायिक विनिश्चय आर.आर.डी. 2009 पेज 92 से सहमत है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक विनिश्चय आर.आर.टी. 2008 (2) हरबान बनाम राजस्व मण्डल में राजस्व अभिलेख में पिछले 22 वर्षो से शिकमी काश्तकार चले आ रहे प्रार्थी को खातेदार घोषित किया जाना अभिर्निधारित किया गया है।

अतः उपरोक्त प्रकरण के तथ्यों एवं उपरोक्त न्यायिक विनिश्चयों के आधार पर वादीगण खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है।

आदेश

वादीगण का दावा डिक्री किया जाता है तथा आराजी ख.न. 307 रकबा 1.04 हैक्टेयर वाके ग्राम भिवाडा तहसील मुण्डावर का वादी स 01 को 1/2 भाग का एवं वादी स. 2 ला.7 को 1/2 भाग का खातेदार घोषित किया जाता है एवं उक्त आराजी पर दर्ज हाल इन्द्राज को कलमजन किया जाता है। तहसीलदार मुण्डावर उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

(योगेश कुमार, आ.प्र.से.)
4/08/19

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला अलवर(राज.)

पीठासीन अधिकारी : योगेश कुमार डागुर, आर.ए.एस.

राजस्व वाद पत्र सख्या : 270/2014

तारीख दायरा : 19.09.2014

उनवान

1. रामसिंह पुत्र नाथिया जाति चमार निवासी भिवाडा।
2. हजारी लाल पुत्र चन्दर जाति चमार निवासी भिवाडा।
3. बहराम पुत्र चन्दर जाति चमार निवासी भिवाडा।
4. दलीप सिंह पुत्र चन्दर जाति चमार निवासी भिवाडा।
5. औमप्रकाश पुत्र चन्दर जाति चमार निवासी भिवाडा।
6. पिस्ता देवी पुत्री चन्दर जाति चमार निवासी भिवाडा।
7. सुशीला पुत्री चन्दर जाति चमार निवासी भिवाडा तहसील मुण्डावर।

..वादीगण।

बनाम

1.धर्मचन्द पुत्र शिवनारायण जाति अहीर निवासी मुण्डनवाडा कलॉ तहसील मुण्डावर।
2.जगमाल पुत्र शिवनारायण जाति अहीर निवासी मुण्डनवाडा कलॉ तहसील मुण्डावर।
3.रामप्रताप पुत्र शिवनारायण जाति अहीर निवासी मुण्डनवाडा कलॉ तहसील मुण्डावर।
4.विधा पुत्री शिवनारायण जाति अहीर निवासी मुण्डनवाडा कलॉ तहसील मुण्डावर।
5.रेवती पुत्री शिवनारायण जाति अहीर निवासी मुण्डनवाडा कलॉ तहसील मुण्डावर।
6.कृपा पुत्री शिवनारायण जाति अहीर निवासी मुण्डनवाडा कलॉ तहसील मुण्डावर।
7.अमर सिंह पुत्र रामजीलाल जाति अहीर निवासी मुण्डनवाडा कलॉ तह.मुण्डावर।
8.रामकिशन पुत्र रामजीलाल जाति अहीर निवासी मुण्डनवाडा कलॉ तहसील मुण्डावर।
9.रामप्रताप पुत्र सगरू जाति अहीर निवासी मुण्डनवाडा कलॉ तहसील मुण्डावर।
10.कमला
11.रूकमणी।
12.सरबती पुत्रीयान सगरू जातियान अहीर निवासी मुण्डनवाडा कलॉ तह.मुण्डावर।
13.अमर सिंह।
14.सतीश ।
15.देशराज।
16.पप्पू पुत्रान लख्मी जाति अहीर निवासी मुण्डनवाडा कलॉ तहसील मुण्डावर।
17.राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर।
18.उप पंजीयक मुण्डावर जिला अलवर।

(दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.एक्ट)

पर्चा डिकी दिनांक: 08.7.2019

वादीगण का दावा डिकी किया जाता है तथा आराजी ख.न. 307 रकबा 1.04 हैक्टेयर वाके ग्राम भिवाडा तहसील मुण्डावर का वादी स 01 को 1/2 भाग का एवं वादी स. 2 ला.7 को 1/2 भाग का खातेदार घोषित किया जाता है एवं उक्त आराजी पर दर्ज हाल इन्द्राज को कलमजन किया जाता है। तहसीलदार मुण्डावर उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(योगेश कुमार डागुर)

08.7.19

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner